



दिनांक- 21.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, कब्जे से 1680/- रुपये नकद, 01 डायरी व 01 पैन बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में जुआ/ सट्टा की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र नागर के कुशल नेतृत्व में थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 21.04.2025 को चैकिंग/गस्त के दौरान **अभियुक्त जाबिर पुत्र घसीटा निवासी घोसियों वाली मरिजद, ग्राम चकहरेटी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को ट्रासपोर्ट नगर के पीछे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 1680/- रुपये नगद, 01 डायरी व 01 पैन बरामद की गई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना जनकपुरी पर मु0अ0स0 81/25 धारा 13 जी एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जाबिर पुत्र घसीटा निवासी ग्राम चकहरेटी घोसियों वाली मरिजद थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 81/25 धारा 13 जी एक्ट चालानी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 93/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 1680/- रुपये नगद
- 01 डायरी
- 01 पैन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री विवेक वैद्यवान थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
2. है0का0 354 संजीव कुमार थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
3. है0का0 731 पोपिन थाना जनकपुरी, सहारनपुर।



दिनांक: 21.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा पोक्सो एक्ट के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 20.04.2025 को वादिया द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बावत वादिया की नाबालिग पुत्री जो कि मानसिक रूप से पीडित है के साथ अभियुक्त पवन पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर द्वारा दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना गागलहेडी पर मु0अ0स0 61/25 धारा 64(2)(K) बीएनएस व 5k/6 पोक्सो एक्ट के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना के अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.04.2025 को थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त पवन पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम कैलाशपुर को ग्राम उग्राहूँ से ग्राम कैलाशपुर जाने वाली रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

पवन पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिंह थाना गागलहेडी सहारनपुर
3. है0का0 317 सुनील कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक:21.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 15 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर **अभियुक्त माजिद पुत्र अख्तर निवासी ग्राम टिडौली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को 15 ग्राम स्मैक सहित ग्राम चढ़ाव के रास्ते पर स्थित जिन्दा हसन के आम के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 118/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का बयान:- अभियुक्त माजिद उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं पढा लिखा नहीं हूँ और मैं नशा करने का आदी हूँ। कुछ स्मैक तो मैं पी लेता हूँ और कुछ नशा करने वाले लोगो को बेच देता हूँ, जिससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

माजिद पुत्र अख्तर निवासी ग्राम टिडौली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

15 ग्राम स्मैक

अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 346/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 11/19 धारा 323, 498-A, 504, 506 थाना महिला थाना जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 791 राजीव थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
6. का0 1890 मोन्टी चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:21.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध छुरे सहित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व अवैध अस्त्र/शस्त्र की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा **अभियुक्त अमन पुत्र सुनील कुमार निवासी गढी मलूक न01 नुमाईश कैम्प थाना कोतवाली नगर सहारनपुर** को दाल मंडी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से एक अवैध छुरा बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0 57/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अमन पुत्र सुनील कुमार निवासी गढी मलूक न0-1, नुमाईश कैम्प थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

01 अवैध छुरा बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम: -

1. उ0नि0 श्री वेदप्रकाश थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।
2. का0 1342 कपिल कुमार थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।
3. का0 2044 अनुराग थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 21.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा घर से इन्वर्ट व बैटरा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 नकबजन अभियुक्त सहित चोरी का माल खरीदने वाला दुकानदार गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गया इन्वर्टर, बैटरा व 1000/- रुपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 20.04.2025 को वादिया प्राची सैनी पुत्री संजय सैनी निवासी ग्राम फतेहपुर भादो थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादिया के घर में रखे इन्वर्टर बैटरा चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 81/25 धारा 305(A) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नकबजनी/चोरी/लूट आदि आपराधिक घटनाओ की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/नकबजन अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 20.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में इन्वर्टर व बैटरा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी की घटना में 03 वांछित नकबजन/अभियुक्तगण 1. दिव्यांश गुप्ता पुत्र प्रदीप गुप्ता निवासी सहारनपुर रोड कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर, 2. आकाश उर्फ खरसी पुत्र पुष्पेन्द्र निवासी कलसिया रोड फतेहपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर तथा चोरी का माल खरीदने वाले दुकानदार/अभियुक्त 3. परवेज उर्फ आमिर पुत्र असगर निवासी ग्राम गन्देवड़ा हाल आमिर इलेक्ट्रिकल्स छुटमलपुर रोड थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर को चोरी के इन्वर्टर और बैटरा तथा 1000/- रुपये नकद सहित फतेहपुर भादो बिजलीघर से कमालपुर रोड की तरफ जाने वाले रास्ते पर आम के बाग में ट्यूबवैल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण दिव्यांश गुप्ता व आकाश उर्फ खरसी ने पूछने पर बताया कि हमने मिलकर कल दिनांक 19.04.2025 को फतेहपुर भादो में एक घर से एक इन्वर्टर व बैटरा चुराया था। जिसको हम दोनो ने मिलकर परवेज उर्फ आमिर जिसकी दुकान कस्बा छुटमलपुर में आमिर इलेक्ट्रिकल्स के नाम से है उसको 1000/- रुपये में बेच दिया था, जो हमने आपस में आधे-आधे बांट लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. दिव्यांश गुप्ता पुत्र प्रदीप गुप्ता निवासी सहारनपुर रोड कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. आकाश उर्फ खरसी पुत्र पुष्पेन्द्र निवासी कलसिया रोड फतेहपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
3. परवेज उर्फ आमिर पुत्र असगर निवासी गन्देवड़ा हाल आमिर इलेक्ट्रिकल्स छुटमलपुर रोड थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

अभियुक्त दिव्यांश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 69/24 धारा 147/148/323/427/506 भादवि0 थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद बैटरा EXCIDE FL12 VOLT

➤ 01 अदद इन्वर्टर MICROTEK

➤ 1000/- रुपये (अभियुक्त दिव्यांश गुप्ता व आकाश उर्फ खस्सी से)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विजयपाल सिंह थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
3. है0का0 738 विनोद मंडार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
4. का0 2548 विष्णु थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
5. हो0गा0 1235 विपिन कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर



दिनांक: 21-04-2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गयी मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 17.04.2025 को वादी श्री रितिक पुत्र श्री राकेश कुमार निवासी मौहल्ला रविदास मार्ग कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की सूचना बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल सं० UP12L0794 को चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु०अ०स० 214/25 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी/नकबजनी/चोरी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वाहन चोर/शातिर अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तगण 1. प्रियाशु पुत्र श्रवण कुमार निवासी ग्राम ठोकरपुर थाना देवबन्द सहारनपुर व 2. गौतम पुत्र बबलू निवासी ग्राम ठोकरपुर थाना देवबन्द सहारनपुर को नूरपुर फाटक की तरफ रजवाहे से आगे सडक किनारे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी गयी मोटर साइकिल बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ अभियुक्तगण- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक स्वर में बताया कि दि० 16.04.25 को मैं व प्रियाशु मेला देखने आये थे वहा खड़ी मोटरसाइकिल देखकर हमे लालच आ गया था। फिर हम दोनो ने मोटर साइकिल चोरी कर ली थी आज हम इस मोटर साइकिल को बेचने जा रहे थे

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. प्रियाशु पुत्र श्रवण कुमार निवासी ग्राम ठोकरपुर थाना देवबन्द सहारनपुर,
2. गौतम पुत्र बबलू निवासी ग्राम ठोकरपुर थाना देवबन्द सहारनपुर,

बरामदगी का विवरण:-

01 मोटरसाइकिल UP 12 L 0794 चोरी गयी बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री रविन्द्र कसाना थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. है०का० 56 ललित कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. है०का० 1124 राहुल कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
4. का० 1180 योगेश कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 21.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा माल निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन क्लीन" के तहत कुल 50 मुकदमों में जुआ अधिनियम से संबंधित माल का विनिष्ठीकरण कर कुल 40,280/- रुपये की धनराशि को राजकोष में जमा कराया जायेगा

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में थानो में लम्बित माल निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन क्लीन" के तहत माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल नेतृत्व में एवं उप जिला मजिस्ट्रेट श्री सुबोध कुमार, सहायक अभियोजन अधिकारी श्री संजय गुप्ता के कुशल नेतृत्व में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री हृदय नारायण सिंह, उ0नि0 श्री धीर सिंह, हेड मोहरीर 468 सुरेन्द्र कुमार थाना कुतुबशेर की मौजूदगी में आज दिनांक 21.04.2025 को कुल 50 मुकदमों में जुआ अधिनियम से सम्बन्धित 40,280/- रुपये की कुल धनराशि को राजकोष में जमा कराया जायेगा एवं माल सड़ा पर्चा, पेन, गत्ता व ताश के पत्तो को जलाकर विनिष्ठीकरण कराया गया।

माल निस्तारण कराने वाली टीम का विवरण:-

1. श्री सुबोध कुमार उप जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।
2. श्री अशोक सिसौदिया क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम, सहारनपुर।
3. श्री संजय गुप्ता सहायक अभियोजन अधिकारी, जनपद सहारनपुर।
4. प्रभारी निरीक्षक श्री हृदय नारायण सिंह थाना कुतुबशेर सहारनपुर
5. हेड मोहरीर 468 सुरेन्द्र कुमार थाना कुतुबशेर सहारनपुर।